आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : आजमगढ़, जनपद–मऊ, तहसील : सदर

वाद संख्या – 00027/2020

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :– T202008150300027

चन्द्रदेव स्मारक एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक श्री अमरनाथ यादव बनाम गांवसभा

अंतर्गत धारा:–80, अधिनियम :– उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता – 2006

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, मऊ

वाद संख्या: टी202008150300027 — अन्तर्गत धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता।
ग्राम–पिजड़ा परगना–मुहम्मदाबाद गोहना, तहसील–सदर
जनपद–मऊ, उत्तर प्रदेश।

चन्द्रदेव स्मारक एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक श्री अमरनाथ यादव बनाम गांवसभा

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादि के प्रार्थनापत्र पर प्रारम्भ की गयी। वादि द्वारा यह कहा गया कि विवादित भूमि गाटा संख्या 1163 रकबा 0.705 हे0 व गाटा संख्या 21 रकबा 0.120 हे0 कुल रकबा 0.825 हे0 पर विद्यालय भवन निर्मित है। विवादित भूमि पर उसके द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। वादि द्वारा उपरोक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र के साथ वादि द्वारा नकल खतौनी ग्राम पिजड़ा परगना मुहम्मदाबाद गोहना तहसील सदर जनपद मऊ संलग्न किया है।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर तहसीलदार सदर से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 25.06.2021 में यह अंकित किया गया है कि विवादित भूमि गाटा संख्या 1163 रकबा 0.705 हे0 व गाटा संख्या 21 रकबा 0.120 हे0 कुल रकबा 0.825 हे0 पर विद्यालय भवन निर्मित है। विवादित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। तहसीलदार सदर द्वारा विवादित भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैनें तहसीलदार सदर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत रिपोर्ट व संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम पिजड़ा, परगना मुहम्मदाबाद गोहना तहसील सदर स्थित गाटा संख्या 1163 रकबा 0.705 हे0 व गाटा संख्या 21 रकबा 0.120 हे0 कुल रकबा 0.825 हे0 वर्तमान समय में गैर कृषिक व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग की जा रही है और वादि द्वारा निर्धारित शुल्क मु0 31220/रू चालान सं0 ए963312 द्वारा जमा किया गया है। विवादित भूमि पर इस प्रकार धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिये प्राविधानों के तहत उक्त रकबा कृषि से इतर कार्यों में प्रयोग किये जाने के कारण उसे अकृषिक घोषित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 25.06.2021 के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पिजड़ा, परगना मुहम्मदाबाद गोहना की खतौनी वर्ष 1424–29 की गाटा संख्या 1163 रकबा 0.705 हे0 व गाटा संख्या 21 रकबा 0.120 हे0 कुल रकबा 0.825 हे0 अभिलेखों में अकृषिक अंकित किया जाय। उपरोक्त रकबा लगान से मुक्त किया जाता है। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 25.06.2021 इस आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संग्रहित की जाय।

दिनांक: 28-07-2021

उपजिलाधिकारी
सदर, मऊ

अमरनाथ यादव

Scanned with CamScanner